उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
(अधोसंरचना विकास कक्ष)

क्रमांक 48/अधोविक/(4)/2004 / भोपाल, दिनांक

प्रति

संयुक्त संचालक उद्योग
परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय
सागर

विषयः– भूमि/शेड आवंटन निरस्तीकरण के विरूद्ध प्रस्तुत की जाने वाली अपीलों हेतु निर्धारित अपील शुल्क बाबद्।

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक 777, दिनांक 18.11.2009

विषयांकित संदर्भ अंतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन–2008 की नियम कंडिका में निम्नानुसार अपील शुल्क प्रावधानित की गई है :–

लघु उद्योगों हेतु – रूपये 2,000/–

वृहद/मध्यम उद्योग हेतु – रूपये 10,000/–

उपरोल्लेखित लघु उद्योग श्रेणी में सूक्ष्म उद्यम की समाहित माने जावेंगे, अर्थात सूक्ष्य उद्यम अपील शुल्क से मुक्त नहीं होंगे।

(उद्योग आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक, उद्योग
कृते उद्योग आयुक्त

क्रमांक 48/अधोविक/(4)/2004 /2254-2318 भोपाल, दिनांक 30-3-2010

प्रतिलिपि–

1. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि0 ए0व्ही0एन0 टावर, एम.पी. नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर/संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, भोपाल/इंदौर /ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन/सागर
3. प्रबंध संचालक, औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम, ग्वालियर/मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल/इंदौर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन
4. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, ———— की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक, उद्योग
कृते उद्योग आयुक्त

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
(अधोसंरचना विकास कक्ष)

कमांक 48 / अधोविक / (4) / 2004 / भोपाल, दिनांक

प्रति

प्रबंध संचालक,
औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम, (ग्वालियर) मध्यप्रदेश लिमि0
औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम प्लाजा
39— सिटि सेंटर, ग्वालियर ।

विषयः— भूमि आवंटन के प्रकरणों में समर्पण / निरस्तीकरण उपरांत राशि वापसी के संबंध में।

संदर्भ :—आपका पत्र कमांक आईआईडीसी—ग्वा / स्टोन पार्क / 2009 / 3522, दिनांक 30.10.2999

विषयांकित संदर्भ अतंर्गत सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम 2008 की नियम कंडिका 14 (V), मूलतः ऐसी आवंटी इकाईयों के संबंध में है, जिनके द्वारा निर्धारित समयावधि में पट्टाभिलेख का पंजीयन नहीं कराया गया है एवं आवंटित भूमि का अधिपत्य प्राप्त नहीं किया है।

इसी प्रकार नियम कंडिका— 23, ऐसी आवंटी इकाईयों के संबंध में है जिनके द्वारा भूखण्ड का आधिपत्य प्राप्त करने के उपरांत, भूमि विभाग को वापस समर्पित की जाती है अथवा विभाग द्वारा, लीजडीड की कंडिकाओं के अनुरूप, आंवटित भूखण्ड पर पुनर्प्रवेश किया जाता है।

नियमों में किये गये प्रावधान अनुसार, मात्र प्रब्याजी राशि को ही नियमों के अनुरूप लौटाया जा सकेगा। विकास शुल्क के रूप में जमा कराई गई राशि, वापसी योग्य नहीं होगी।

(उद्योग आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

ह0-अ0/-
अपर संचालक, उद्योग
कृते उद्योग आयुक्त

कमांक 48 / अधोविक / (4) / 2004 / 2120-2183 भोपाल, दिनांक 30-3-2010

प्रतिलिपि—

1. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि0 ए0व्ही0एन0 टावर, एम.पी. नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल / इंदौर / जबलपुर / रीवा / उज्जैन
3. अपर / संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय / भोपाल / इंदौर / ग्वालियर / जबलपुर / रीवा / उज्जैन / सागर
4. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,———— की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक, उद्योग
कृते उद्योग आयुक्त

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
(अधोसंरचना विकास कक्ष)

क्रमांक 48/अधोविक/(4)/2004 /2184-2234 भोपाल, दिनांक 30-3-2010

प्रति

महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
____

विषयः— मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम 2008 के अंतर्गत लीजडीड का प्रारूप उपलब्ध कराने बाबद्।

उपरोक्त विषयांतर्गत कई जिला कार्यालयों एवं उद्योग संघों से, नवीन नियमों के तहत् लीजडीड/हायर परचेज डीड का प्रारूप शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्राप्त हो रहे है।

इस संबंध में अवगत कराया जाता है कि लीजडीड का प्रारूप अनुमोदन हेतु राज्य शासन के विचाराधीन है।

राज्य शासन से लीजडीड के प्रारूप का अनुमोदन होने तक की अवधि में, पूर्व प्रचलित प्रारूप अनुसार पट्टाविलेख/हायर परचेस डीड इस शर्त पर निष्पादित कराये जा सकते हैं कि, आवंटी इकाई द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावेगा कि "नवीन नियमों के परिप्रेक्ष्य में पट्टाविलेख/हायर परचेस डीड का नवीन प्रारूप जारी होने के उपरांत आवंटी/इकाई द्वारा स्वयं के व्यय पर नवीन प्रारूप में संशोधित लीजडीड/ हायर परचेस डीड का निष्पादन करा लिया जायेगा।"

(उद्योग आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक, उद्योग
कृते उद्योग आयुक्त

क्रमांक 48/अधोविक/(4)/2004 / भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि—

1. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि0 ए0व्ही0एन0 टावर, एम. पी. नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर/संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन/सागर
3. प्रबंध संचालक, औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम, ग्वालियर/मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल/इंदौर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन
4. महासचिव, मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ, ई-2/30, अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. सचिव, मध्यप्रदेश चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, चेंबर भवन, सनातन धर्म, मंदिर मार्ग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. अध्यक्ष, ग्वालियर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, औद्योगिक संस्थान, तानसेन रोड़, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
7. अध्यक्ष, एसोसिएशन आफ इंडस्ट्रीज, मध्यप्रदेश उद्योग भवन, औद्योगिक संस्थान, पोलोग्राउण्ड इंदौर की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक, उद्योग
कृते उद्योग आयुक्त

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
(अधोसंरचना विकास कक्ष)

कमांक 48/अधोविक/(4)/2004 / भोपाल, दिनांक

प्रति

महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
____

विषयः– मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम 2008 के अंतर्गत लीजडीड का प्रारूप उपलब्ध कराने बाबद्।

उपरोक्त विषयांतर्गत कई जिला कार्यालयों एवं उद्योग संघों से, नवीन नियमों के तहत् लीजडीड/हायर परचेज डीड का प्रारूप शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्राप्त हो रहे है।

इस संबंध में अवगत कराया जाता है कि लीजडीड का प्रारूप अनुमोदन हेतु राज्य शासन के विचाराधीन है।

राज्य शासन से लीजडीड के प्रारूप का अनुमोदन होने तक की अवधि में, पूर्व प्रचलित प्रारूप अनुसार पट्टाविलेख/हायर परचेस डीड इस शर्त पर निष्पादित कराये जा सकते हैं कि, आवंटी इकाई द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावेगा कि ''नवीन नियमों के परिप्रेक्ष्य में पट्टाविलेख/हायर परचेस डीड का नवीन प्रारूप जारी होने के उपरांत आवंटी/इकाई द्वारा स्वयं के व्यय पर नवीन प्रारूप में संशोधित लीजडीड/ हायर परचेस डीड का निष्पादन करा लिया जायेगा।''

(उद्योग आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक, उद्योग
कृते उद्योग आयुक्त

कमांक 48/अधोविक/(4)/2004 /2235-2252 भोपाल, दिनांक 30-3-2010

प्रतिलिपि–

1. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि0 ए0व्ही0एन0 टावर, एम. पी. नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर/संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन/सागर
3. प्रबंध संचालक, औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम, ग्वालियर/मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल/इंदौर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन
4. महासचिव, मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ, ई–2/30, अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. सचिव, मध्यप्रदेश चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, चेंबर भवन, सनातन धर्म, मंदिर मार्ग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. अध्यक्ष, ग्वालियर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, औद्योगिक संस्थान, तानसेन रोड़, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
7. अध्यक्ष, एसोसिएशन आफ इंडस्ट्रीज, मध्यप्रदेश उद्योग भवन, औद्योगिक संस्थान, पोलोग्राउण्ड इंदौर की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक, उद्योग
कृते उद्योग आयुक्त